तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	अहकाम हुक्म की ... में ज...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]
[illegible] बनाम लक्ष्मीनारायण [illegible] प्र०-76/19
ईश्व०-प्रपत्र

20/6/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षी अनु०। प्रकरण मे जवाब अपेक्षित है। दि० हो पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] हेतु दि० 30/7/19 को पेश हो।

30/7/19
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश RO [illegible]
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 8/8/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

8/8/19
[illegible]
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश VC
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/8/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

13.08.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष सुचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई पर हाजिर नही है। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से प्रार्थी ने खरीदशुदा आराजीयांत के आधार पर खुले नामान्तरकरण में प्रार्थी के अंकित दोषयुक्त नाम का दुरूस्तिकरण कराने की दाद न्यायालय से चाही है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि विवादित आराजीयात को प्रार्थी के

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख तत्कालिन खातेदार से क्रय कर, आराजीयात पर हक आधिपत्य हासिल किया है। यानि प्रार्थी इस आरजीयात का सद्भाविक क्रेता है, तथाकथित विक्रय विलेख के आधार पर ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर, फैसल किया गये है। यानि विक्रय विलेख को आधार मानकर प्रार्थी के नाम सम्बन्धी हुई त्रूटी सर्वप्रथम नामान्तरकरण में हुई है ना कि प्रथम रोटेशन जमाबन्दी में, और रहा प्रश्न नामान्तरकरण में दुरूस्तिकरण का, तो उस दशा में प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में फैसलशुदा दोषयुक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील दायर कर दाद हासिल करनी चाहिए। मौजूदा इस प्रार्थनापत्र से प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र त्रूटीयुक्त तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ, होने से, पोषणीय नही होकर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।